



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234756
CG-DL-E-01042022-234756

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2022/चैत्र 10, 1944

No. 172]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2022/CHAITRA 10, 1944

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च 2022

क्रमांक सी-3/7/(5)/2021-एफईए-1.—धारा 11 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खंड (बी) के उप-खंड (i) के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की उक्त धारा की उप-धारा (1) के अनुसार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देता है, अर्थात् :-

दूरसंचार टैरिफ (सड़सठवां संशोधन) आदेश, 2022

(2022 का 02)

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ:

(1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (सड़सठवां संशोधन) आदेश, 2022 कहा जा सकता है।

(2) यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के खंड 6 में, _____

a उपखंड (xii) को हटा दिया जाएगा;

b इस आदेश के प्रारंभ होने की तारीख से 60 दिनों के बाद, उप-खंड (xi) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(xii) प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल+ टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करेगा जिसका हर महीने की एक ही तारीख को नवीकरणीय होगा और यदि इस तरह के

नवीनीकरण की तारीख किसी महीने में उपलब्ध नहीं है, तो उस महीने की आखिरी तारीख नवीनीकरण की तारीख होगी।”

कौशल किशोर, सलाहकार (एफ एंड ईए)

[विज्ञापन-III/4/असा./727/2021-22]

नोट 1 दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 99/3 दिनांक 9 मार्च, 1999 के तहत प्रकाशित किया गया था, और बाद में नीचे दिए गए अनुसार संशोधित किया गया था: -

संशोधन क्र.	अधिसूचना संख्या और तिथि
1ला	301-4/99-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 30.3.1999
2रा	301-4/99-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 31.5.1999
3रा	301-4/99-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 31.5.1999
4था	301-4/99-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 28.7.1999
5वां	301-4/99-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 17.9.1999
6वां	301-4/99-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 30.9.1999
7वां	301-8/2000-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 30.3.2000
8वां	301-8/2000-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 31.7.2000
9वां	301-8/2000-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 28.8.2000
10 वां	306-1/99-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 9.11.2000
11 वां	310-1(5)/ट्राई-2000 दिनांक 25.1.2001
12 वां	301-9/2000-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 25.1.2001
13 वां	303-4/ट्राई-2001 दिनांक 1.5.2001
14 वां	306-2/ट्राई-2001 दिनांक 24.5.2001
15 वां	310-1(5)/ट्राई-2000 दिनांक 20.7.2001
16 वां	310-5(17)/2001-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 14.8.2001
17 वां	301/2/2002-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 22.1.2002
18 वां	303/3/2002-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 30.1.2002
19 वां	303/3/2002-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 28.02.2002
20 वां	312-7/2001-ट्राई (ईकॉन) 14.3.2002
21 वां	301-6/2002-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 13.6.2002
22 वां	312-5/2002-ट्राई (ईको) दिनांक 4.7.2002
23 वां	303/8/2002-ट्राई (ईकॉन) दिनांक 6.9.2002
24 वां	306-2/2003-ईकॉन दिनांक 24.1.2003
25 वां	306-2/2003-ईकॉन दिनांक 12.3.2003
26 वां	306-2/2003-ईकॉन दिनांक 27.3.2003

27 वां	303/6/2003-ट्राई (इकॉन) दिनांक 25.4.2003
28 वां	301-51/2003-इकॉन दिनांक 5.11.2003
29 वां	301-56/2003-इकॉन दिनांक 3.12.2003
30 वां	301-4/2004(इकॉन) दिनांक 16.1.2004
31 वां	301-2/2004-इको दिनांक 7.7.2004
32 वां	301-37/2004-इको दिनांक 7.10.2004
33 वां	301-31/2004-इको दिनांक 8.12.2004
34 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 11.3.2005
35 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 31.3.2005
36 वां	312-7/2003-इको दिनांक 21.4.2005
37 वां	312-7/2003-इको दिनांक 2.5.2005
38 वां	312-7/2003-इको दिनांक 2.6.2005
39 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 8.9.2005
40 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 16.9.2005
41 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 29.11.2005
42 वां	301-34/2005-इको दिनांक 7.3.2006
43 वां	301-2/2006-इको दिनांक 21.3.2006
44 वां	301-34/2006-इको दिनांक 24.01.2007
45 वां	301-18/2007-इको दिनांक 5.6.2007
46 वां	301-36/2007-इको दिनांक 24.01.2008
47 वां	301-14/2008-इको दिनांक 17.3.2008
48 वां	301-31/2007-इको दिनांक 1.9.2008
49 वां	301-25/2009-ईआर दिनांक 20.11.2009
50 वां	301-24/2012-ईआर दिनांक 19.4.2012
51 वां	301-26/2011-ईआर दिनांक 19.4.2012
52 वां	301-41/2012-एफ एंड ईए दिनांक 19.09.2012
53 वां	301-39/2012-एफ एंड ईए दिनांक 1.10.2012
54 वां	301-59/2012-एफ एंड ईए दिनांक 05.11.2012
55 वां	301-10/2012-एफ एंड ईए दिनांक 17.06.2013
56 वां	301-26/2012-ईआर दिनांक 26.11.2013
57 वां	312-2/2013-एफ एंड ईए दिनांक 14.07.2014
58 वां	312-2/2013- एफ एंड ईए दिनांक 01.08.2014

59 वां	310-5 (2)/2013-एफ एंड ईए दिनांक 21.11.2014
60 वां	301-16/2014-एफ एंड ईए दिनांक 09.04.2015
61 वां	301-30/2016-एफ एंड ईए दिनांक 22.11.2016
62 वां	301-30/2016-एफ एंड ईए दिनांक 27.12.2016
63 वां	312-1/2017-एफ एंड ईए दिनांक 16.02.2018
64 वां	301-20/2018-एफ एंड ईए दिनांक 24.09.2018
65 वां	301-03/2020-एफ एंड ईए दिनांक 03.06.2020
66 वां	सी-3/7/(5)/2021-एफईए-1 दिनांक 27.01.2022

नोट 2. व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार टैरिफ (सड़सठवां संशोधन) आदेश, 2022 का कारण बताता है।

विवरणात्मक ज्ञापन

भादूविप्रा ने टीटीओ, 1999 के खंड 6 में उप खंड (xi) और (xii) सम्मिलित किए हैं जो प्रदान करता है कि:

(xi) प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी. एस. पीज.) तीस दिनों की वैधता वाले कम से कम एक प्लान वाउचर (पी. वी.), एक स्पेशल टैरिफ वाउचर (एस.टी.वी.) और एक कॉम्बो वाउचर (सी. वी.) की पेशकश करेगा।

(xii) प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी. एस. पीज.) कम से कम एक प्लान वाउचर (पी. वी.) , एक स्पेशल टैरिफ वाउचर (एस.टी.वी.) और एक कॉम्बो वाउचर (सी. वी.) की पेशकश करेगा जिसका हर महीने की एक ही तारीख को नवीकरणीय होगा।

टीटीओ (66वां संशोधन) आदेश के जवाब में, भादूविप्रा को बीएसएनएल/वीआईएल/सीओएआई से पत्राचार प्राप्त हुआ है जो इस प्रकार है:

बीएसएनएल

यदि कोई ग्राहक 29/30 या 31 जनवरी को रिचार्ज करता है, तो रिचार्ज की अगली देय तिथि क्या होनी चाहिए;

यदि ग्राहक 31 मार्च, 31 मई, 31 अगस्त और 31 अक्टूबर को रिचार्ज करता है, तो रिचार्ज के लिए अगली देय तिथि क्या होनी चाहिए

वीआईएल

वीआईएल ने कहा है कि वे उपर्युक्त टीटीओ (66वां संशोधन) आदेश के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को निम्नलिखित के अनुसार पूरा करेंगे:

तीस दिनों की वैधता वाले कम से कम एक प्लान वाउचर (पी. वी.), एक स्पेशल टैरिफ वाउचर (एस.टी.वी.) और एक कॉम्बो वाउचर (सी. वी.) के संबंध में, वे आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और टीटीओ 66वें संशोधन के तहत प्रदान की गई दो महीने की समयावधि के भीतर, अपने सभी लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में इसे बाजार में उपलब्ध कराएंगे। वीआईएल 30 दिनों का एसटीवी चला रहा है, जिसकी कीमत 6 महीने से उनके सभी लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों में 327 रुपये है।

कम से कम एक प्लान वाउचर (पी. वी.), एक स्पेशल टैरिफ वाउचर (एस.टी.वी.) और एक कॉम्बो वाउचर (सी. वी.) के संबंध में जिनका हर महीने की एक ही तारीख को नवीकरणीय होगा, वे आवश्यकता को पूरा करेंगे और तीन लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में टीटीओ 66वें संशोधन के तहत प्रदान की गई दो महीने की समय अवधि के भीतर बाजार में इसे लागू कर देंगे। शेष लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में, उनके पास तकनीकी व्यवहार्यता (टेक्निकल फिजिबिलिटी) के मुद्दे हैं, जिन पर काम किया जा रहा है और इसके समाधान में भादूविप्रा द्वारा निर्धारित दो महीने के समय सीमा से अधिक समय लगने की उम्मीद है। मेसर्स वीआईएल ने सभी एलएसए के लिए कार्यान्वयन की संभावित तिथि को दर्शाते हुए एक अस्थायी चार्ट प्रदान किया है जिसमें दर्शाया गया है की कार्यान्वयन समय सीमा मई 2023 तक बढ़ सकती है।

उपरोक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने टीटीओ 66वें संशोधन (हर महीने की एक ही तारीख पर रिचार्ज) के प्रावधानों को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया है, जब तक शेष 19 लाइसेंसित सेवा क्षेत्रों में तकनीकी व्यवहार्यता के मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता।

सीओएआई

सीओएआई का विचार प है कि टीटीओ के खंड 6 (xii) के संबंध में, प्रत्येक माह के एक ही दिन को नवीकरणीय उपलब्धता के लिए टैरिफ वैधता संरचना में कोई परिवर्तन करने के लिए, उपभोक्ता जागरूकता, प्रीपेड बिलिंग सिस्टम में भारी बदलाव, अपने और तीसरे पक्ष के चैनलों में प्रकाशन और खुदरा चैनल शिक्षा के मामले में बड़े प्रयासों की आवश्यकता होगी।

2. इसके अलावा, चूंकि एक कैलेंडर माह के दिन स्थिर नहीं होते हैं (अर्थात् 28/29/30/31 दिन), ग्राहक रिचार्ज नवीनीकरण तिथि को महीने के प्रत्येक दिन किए गए रिचार्ज के लिए स्थिर नहीं रखा जा सकता है। यह किसी विशेष महीने में दिनों की संख्या के आधार पर महीने-दर-महीने अलग-अलग होगा।

3. उन्होंने आगे कहा है कि टीएसपी किसी विशेष महीने में दिनों की संख्या से संबंधित किसी भी उपभोक्ता/प्रक्रिया उलझन से बचने के लिए नीचे उल्लिखित दृष्टिकोण के अनुसार उक्त भादूविप्रा आदेश को लागू करने की प्रक्रिया में हैं:

(a) किसी भी महीने की तारीख 1 से 28 तारीख तक किए गए सभी रिचार्ज के लिए नवीनीकरण की तारीख साल के प्रत्येक महीने के लिए समान रहेगी।

(b) 29/30/31 जनवरी को रिचार्ज किए गए टैरिफ वाउचर की समाप्ति 28/29 फरवरी को होगी।

(c) 31 मार्च, मई, अगस्त और अक्टूबर को रिचार्ज किए गए टैरिफ वाउचर की समाप्ति उसके बाद के महीनों यानी 30 अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर को होगी।

उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि उक्त टैरिफ आदेश दिनांक 27 जनवरी 2022 के कार्यान्वयन में भादूविप्रा द्वारा प्रदान की गई 2 महीने की समय-सीमा पर्याप्त नहीं है और सुझाव दिया कि टीएसपी को उसी दिन रिचार्ज करने के मुद्दे पर टीटीओ (66 संशोधन) आदेश और स्पष्टीकरण के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है।

भादूविप्रा के विचार:

मोटे तौर पर दो मुद्दे हैं जिन्हें दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी. एस. पीज.) द्वारा उठाया गया है और जिन पर विचार करने की आवश्यकता है:

(i) यदि ग्राहक अपना रिचार्ज महीने की 31 तारीख को करता है तो रिचार्ज की अगली तारीख क्या होगी और अगर ग्राहक 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच किसी भी दिन वाउचर को रिचार्ज करता है तो रिचार्ज की अगली तारीख क्या होगी?

(ii) मेसर्स वीआईएल ने कहा है कि तकनीकी मुद्दों के कारण यानी मौजूदा चार भागीदारों को एक भागीदार के रूप में समेकित करना मई 2023 तक जारी रह सकता है, वे उसी दिन रिचार्ज वाउचर की आवश्यकता को चरणों में लागू करेंगे और इस दौरान उन्होंने विकल्प के रूप में सुझाव दिया था कि वे 31 दिनों का वाउचर लॉन्च कर सकते हैं जो ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा।

इस मामले में यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि हर महीने की एक ही तारीख को रिचार्ज करने की यह प्रथा अन्य देशों में भी चलन में है, इसलिए हमने मेसर्स वेरिजोन (Verizon) के उपाय का अध्ययन किया है जो नीचे प्रस्तुत है:

“फरवरी के मामले में, यदि आपकी मासिक नवीनीकरण तिथि 29, 30 या 31 तारीख को है, तो हम उस महीने के अंतिम दिन पर आपके ऑटो पे द्वारा शुल्क प्राप्त करेंगे”।

उपरोक्त के आलोक में, सभी हितधारकों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:

(i) खंड 6 के उप-खंड (xii) को निम्नानुसार संशोधित करना:

“प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करेगा जो हर महीने की एक ही तारीख को नवीकरणीय होगा और यदि इस तरह के नवीनीकरण की तारीख किसी महीने में उपलब्ध नहीं है, तो उस महीने की आखिरी तारीख नवीनीकरण की तारीख होगी।”

(ii) उपरोक्त संशोधन के साथ कार्यान्वयन की तिथि को 60 दिनों तक बढ़ाया जाएगा।

अस्वीकरण : यह दूरसंचार टैरिफ आदेश मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित दूरसंचार टैरिफ आदेश (सतासठवां संशोधन) का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति होती है तो अंग्रेजी में लिखित दूरसंचार टैरिफ आदेश (सतासठवां संशोधन) मान्य होगा।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March 2022

No. C-3/7/(5)/2021-FEA-1.—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely: -

THE TELECOMMUNICATION TARIFF (SIXTY SEVENTH AMENDMENT) ORDER, 2022
(02 of 2022)

1. **Short title, extent and commencement:**

- (1) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Sixty Seventh Amendment) Order, 2022.
 (2) This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 6 of the Telecommunication Tariff Order, 1999, -----

- a sub-clause (xii) shall be deleted;
 b after 60 days from the date of commencement of this Order, after sub-clause (xi), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(xii) Every Telecom Service Provider shall offer at least one Plan Voucher, one Special Tariff Voucher and one Combo Voucher which shall be renewable on the same date of every month and if the date of such renewal is not available in a month, the date of renewal shall be the last date of that month.”

KAUSHAL KISHORE, Advisor (F& EA)

[ADVT.-III/4/Exty./727/2021-22]

Note.1 : The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No.99/3 dated 9th March, 1999, and subsequently amended as given below: -

Amendment No.	Notification No. and Date
1 st	301-4/99-TRAI (Econ) dated 30.3.1999
2 nd	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999
3 rd	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999
4 th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 28.7.1999
5 th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 17.9.1999
6 th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 30.9.1999
7 th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 30.3.2000
8 th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 31.7.2000
9 th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 28.8.2000
10 th	306-1/99-TRAI(Econ) dated 9.11.2000
11 th	310-1(5)/TRAI-2000 dated 25.1.2001
12 th	301-9/2000-TRAI(Econ) dated 25.1.2001
13 th	303-4/TRAI-2001 dated 1.5.2001
14 th	306-2/TRAI-2001 dated 24.5.2001
15 th	310-1(5)/TRAI-2000 dated 20.7.2001
16 th	310-5(17)/2001-TRAI(Econ) dated 14.8.2001
17 th	301/2/2002-TRAI(Econ) dated 22.1.2002
18 th	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 30.1.2002

19 th	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 28.2.2002
20 th	312-7/2001-TRAI(Econ) 14.3.2002
21 st	301-6/2002-TRAI(Econ) dated 13.6.2002
22 nd	312-5/2002-TRAI(Eco) dated 4.7.2002
23 rd	303/8/2002-TRAI(Econ) dated 6.9.2002
24 th	306-2/2003-Econ dated 24.1.2003
25 th	306-2/2003-Econ dated 12.3.2003
26 th	306-2/2003-Econ dated 27.3.2003
27 th	303/6/2003-TRAI(Econ) dated 25.4.2003
28 th	301-51/2003-Econ dated 5.11.2003
29 th	301-56/2003-Econ dated 3.12.2003
30 th	301-4/2004(Econ) dated 16.1.2004
31 st	301-2/2004-Eco dated 7.7.2004
32 nd	301-37/2004-Eco dated 7.10.2004
33 rd	301-31/2004-Eco dated 8.12.2004
34 th	310-3(1)/2003-Eco dated 11.3.2005
35 th	310-3(1)/2003-Eco dated 31.3.2005
36 th	312-7/2003-Eco dated 21.4.2005
37 th	312-7/2003-Eco dated 2.5.2005
38 th	312-7/2003-Eco dated 2.6.2005
39 th	310-3(1)/2003-Eco dated 8.9.2005
40 th	310-3(1)/2003-Eco dated 16.9.2005
41 st	310-3(1)/2003-Eco dated 29.11.2005
42 nd	301-34/2005-Eco dated 7.3.2006
43 rd	301-2/2006-Eco dated 21.3.2006
44 th	301-34/2006-Eco dated 24.1.2007
45 th	301-18/2007-Eco dated 5.6.2007
46 th	301-36/2007-Eco dated 24.1.2008
47 th	301-14/2008-Eco dated 17.3.2008
48 th	301-31/2007-Eco dated 1.9.2008
49 th	301-25/2009-ER dated 20.11.2009
50 th	301-24/2012-ER dated 19.4.2012
51 st	301-26/2011-ER dated 19.4.2012
52 nd	301-41/2012-F&EA dated 19.09.2012
53 rd	301-39/2012-F&EA dated 1.10.2012
54 th	301-59/2012-F&EA dated 05.11.2012
55 th	301-10/2012-F&EA dated 17.06.2013
56 th	301-26/2012-ER dated 26.11.2013
57 th	312-2/2013-F&EA dated 14.07.2014

58 th	312-2/2013- F&EA dated 01.08.2014
59 th	310-5 (2)/2013-F&EA dated 21.11.2014
60 th	301-16/2014-F&EA dated 09.04.2015
61 st	301-30/2016-F&EA dated 22.11.2016
62 nd	301-30/2016-F&EA dated 27.12.2016
63 rd	312-1/2017-F&EA dated 16.02.2018
64 th	301-20/2018-F&EA dated 24.09.2018
65 th	301-03/2020-F& EA dated 03.06.2020
66 th	C-3/7/(5)/2021-FEA-1- dated 27.01.2022

Note 2: The Explanatory Memorandum explains the reason for the Telecommunication Tariff (Sixty Seventh Amendment) Order, 2022.

EXPLANATORY MEMORANDUM

TRAI has inserted sub clauses (xi) and (xii) in clause 6 of TTO, 1999 which provides that:

(xi) Every Telecom Service Provider shall offer at least one Plan Voucher, one Special Tariff Voucher and one Combo Voucher having a validity of thirty days.

(xii) Every Telecom Service Provider shall offer at least one Plan Voucher, one Special Tariff Voucher and one Combo Voucher which shall be renewable on the same date of every month.

In Response to TTO (66th Amendment) Order, TRAI is in receipt of correspondence from BSNL/VIL/COAI which are as follows:

BSNL

If a customer recharges on 29 / 30th or 31st Jan, what should be the next due date of recharge;

If Customer recharges on 31st March, 31st May, 31st August and 31st October, what should be the next due date for recharge

VIL

VIL has stated that they would be meeting the requirements as prescribed under above-said TTO (66th Amendment) Order, as per following:

With regard to at least one Plan Voucher, one Special Tariff Voucher and one Combo Voucher having a validity of thirty days, they would be meeting the requirement and have it in the market within two month time period as provided under the TTO 66th amendment, across all their licensed service areas. VIL is running 30 Days STV, currently priced at Rs 327 since 6 months across all of their licensed areas.

With regard to at least one Plan Voucher, one Special Tariff Voucher and one Combo voucher which shall be renewable on the same date of every month, they would be meeting the requirement and have the same in market within two month time period as provided under the TTO 66th amendment, across three licensed service areas. In the remaining licensed service areas, they are having technical feasibility issues, which are being worked upon and its resolution is expected to take more than two months as prescribed by TRAI. M/s VIL has given a tentative chart showing likely date of implementation for all LSAs which may extend up to May 2023.

Considering the above issues they have requested for extension of time to meet the provisions of TTO 66th amendment (recharge with same date of every month), till technical feasibility issue is sorted out in balance 19 licensed service areas.

COAI

COAI is of the view that with regard to clause 6 (xii) of the TTO, any change to the tariff validity structure to make it renewable on same day of each month, will require gigantic efforts in terms of consumer awareness, huge change in prepaid billing systems, publications in own and 3rd party channels and retail channel education.

2. Further, as the days of a calendar month are not static (i.e. 28/29/30/31 days), customers recharge renewal date cannot be kept static for recharges performed on every day of the month. This will vary month-on-month depending upon the number of days in a particular month.

3. They have further stated that TSPs are in process of implementing the said TRAI order as per the below mentioned approach to avoid any consumer/process confusion pertaining to the number of the days in a particular month:

- (a) The renewal date for all recharges performed from date 1 to 28th of any month would remain the same for each month of the year.
- (b) The expiry of the tariff vouchers recharged on 29th/30th/31st of January would happen on 28th/29th of February.
- (c) The expiry of the tariff vouchers recharged on 31st of March, May, Aug & Oct would happen on the subsequent months i.e. 30th April, June, Sept and Nov.

They have further submitted that the timeline of 2 months provided by TRAI in the implementation of the said Tariff Order dated 27th Jan 2022, is not adequate and suggested that TSPs need extra time for the implementation of TTO (66 Amendment) Order and clarification on issue of recharge on same day.

Views of TRAI:

There are broadly two issues which have been raised by TSPs and needs consideration:

- (i) The next date of recharge in case subscriber does his recharge on 31st of the month and the next date of recharge in case subscriber recharges the voucher on any day between 29th Jan to 31st January.
- (ii) M/s VIL has stated that due to technical issues i.e consolidation of existing 4 partners to 1 partner in coming partners which may continue till May 2023, they will be implementing same day recharge voucher requirement in phases and in the interim had suggested as alternative that they can launch a 31 days' voucher which will be beneficial to customer.

In this case it is submitted that since this practice of recharge on same date of every month is in practice in other countries also, we have gone through the practice of M/s Verizon which is as given below:

“In the case of February, if your monthly renewal date is on the 29th, 30th or 31st, we'll charge your Auto Pay on the last day of that month”.

In view of above, taking in view of submissions of all stakeholders, the Authority has decided the following:

- (i) To modify sub-clause (xii) of clause 6 as follows:
 “Every Telecom Service Provider shall offer at least one Plan Voucher, one Special Tariff Voucher and one Combo Voucher which shall be renewable on the same date of every month and if the date of such renewal is not available
 in a month, the date of renewal shall be the last date of that month.”
- (ii) To extend the date of implementation with above modification by 60 days.